भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2400

13 फरवरी 2026 को उत्तर के लिए

ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक और सीएसडी कैंटीन

2400. श्री अनुराग सिंह ठाकुरः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कार्यशील भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) पॉलीक्लिनिकों और कैंटीन स्टोर विभाग (सीएसडी) की कैंटीनों की हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और मंडी सहित जिला-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या भारतीय नौसेना/भारतीय वायु सेना कर्मी और उनके आश्रित इन सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु पात्र हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अंतर-सेवा पात्रता क्या है और उन पर कोई प्रतिबंध है;

(ग) ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में नए ईसीएचएस पॉलीक्लिनिकों और सीएसडी कैंटीनों की स्वीकृति के लिए क्या वित्तीय, जनसांख्यिकीय और भौगोलिक मापदंड और कर्मचारी मानदंड अपनाए गए हैं और ऐसी योजना में उच्च भर्ती-जनसंख्या अनुपात को किस प्रकार ध्यान में रखा जाता है;

(घ) क्या सरकार द्वारा उपर्युक्त जिलों में नई सुविधाएं स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त/अनुमोदित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी स्वीकृत सुविधाओं को कार्यशील बनाने में कितना समय लगने की संभावना है और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या निगरानी तंत्र मौजूद है; और

(ङ) क्या सरकार ने प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त हुए अधिकारियों के लिए भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान करने की मंजूरी दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) और (ख) हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कार्यशील भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना पॉलीक्लिनिकों और कैंटीन स्टोर विभाग की कैंटीनों की कुल संख्या का (ईसीएचएस) वार ब्यौरा-जिला **अनुलग्नक** में संलग्न है।

भारतीय नौसेना और वायुसेना के पेंशनभोगियों सहित सभी रक्षा पेंशनभोगी जो भूतपूर्व सैनिक होने के पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और उनके आश्रित, ईसीएचएस योजना की सेवाओं का लाभ उठाने हेतु पात्र हैं।

सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सशस्त्र सेना कार्मिक, उनकी सेवा के प्रकार पर ध्यान दिए बिना, सीएसडी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।

(ग) एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले भूतपूर्व-सैनिकों की संख्या के आधार पर पॉलीक्लिनिकों को निम्नानुसार पाँच टाइप में वर्गीकृत किया गया हैः-

पॉलीक्लिनिकों का टाइप	भूतपूर्व सैनिकों की संख्या	दैनिक औसत रोगी रिपोर्ट
टाइप 'ए'	20000 से अधिक	281-420
टाइप 'बी'	10000 से अधिक	211-280
टाइप 'सी'	5000 से अधिक	141-210
टाइप 'डी'	2500 से अधिक	140 तक
टाइप 'ई'	850 से अधिक (दूरस्थ क्षेत्रों के लिए)	-

सीएसडी कैंटीन खोलने के मानदंडों में एक जिले/तहसील में पूर्ण ईएसएम (भूतपूर्व-सैनिक) यूनिट संचालित कैंटीन (यूआरसी) के लिए न्यूनतम संख्या 5,000 भूतपूर्व-सैनिक और एक एक्सटेंशन काउंटर खोलने के लिए वांछित न्यूनतम संख्या 2,500 ईएसएम होना शामिल है। इसके अतिरिक्त, निकटतम यूनिट संचालित कैंटीन (यूआरसी) की दूरी मैदानी इलाकों में 50 किमी. और पहाड़ी इलाकों में 30 किमी. से अधिक होनी चाहिए।

(घ) अब, हिमाचल प्रदेश में, हमीरपुर जिले में भोरंज, सोलन जिले में नालागढ़ और ऊना जिले में गगरेट में तीन नए पॉलीक्लिनिक कार्यशील हैं। इसके अतिरिक्त, पिछले पांच वर्षों में हिमाचल प्रदेश में नौ ईएसएम यूनिट संचालित कैंटीन/एक्सटेंशन काउंटरों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ङ) सैन्य प्रशिक्षण पर आरोप्य अथवा उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए गंभीर मामलों की वजह से चिकित्सा आधार पर अपने प्रशिक्षण से बाहर होने वाले अधिकारी कैडेटों को ईसीएचएस के तहत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

***

“ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक और सीएसडी कैंटीन” के संबंध में दिनांक 13.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2400 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

हिमाचल प्रदेश में कार्यशील ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक

क्र. सं.	जिला	पॉलीक्लिनिक का नाम
1.	बिलासपुर	बिलासपुर
2.		घुमारविन
3.	चंबा	चंबा
4.		बकलोह
5.	हमीरपुर	बरसार
6.		हमीरपुर
7.		भोरंज
8.	कांगड़ा	शाहपुर
9.		डेरागोपीपुर
10.		योल
11.		पालमपुर
12.	कुल्लू	कुल्लू
13.	मंडी	सारकाघाट
14.		जोगिंदरनगर
15.		मंडी
16.	शिमला	शिमला
17.		रामपुर
18.	सिरमौर	नाहन
19.	सोलन	सोलन
20.		नालागढ़
21.	ऊना	गगरेट
22.		ऊना

हिमाचल प्रदेश में कार्यशील सीएसडी कैंटीनें

क्र. सं.	**जिला**	**यूआरसी की संख्या**
1.	चंबा	05
2.	लाहौल एवं स्पिति	05
3.	कांगड़ा	31
4.	ऊना	02
5.	हमीरपुर	13
6.	मंडी	13
7.	कुल्लू	08
8.	किन्नौर	08
9.	बिलासपुर	07
10.	सोलन	07
11.	शिमला	15
12.	सिरमौर	03